उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्याः 1183 / XVII–3 / 16–07(27) / 2014
देहरादूनः दिनांकः 31 अगस्त, 2016

कार्यालय उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड देहरादून
पत्रांक 443
दिनांक 07/9/2016

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा 21 सपठित वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या–43 सन् 1995) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–83 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रदेश के गढ़वाल मण्डल के जनपदों की अधिकारिता हेतु वक्फ अधिकरण, देहरादून गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्तानुसार वक्फ अधिकरण, देहरादून के गठन के फलस्वरूप उक्त अधिकरण का अधिकारिता क्षेत्र, अधिकरण की संरचना एवं अधिकरण में अध्यक्ष / सदस्यों की तैनाती का विवरण निम्नवत अनुसूची के अनुसार करने की भी राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुसूची

क. सं.	अधिकारिता का क्षेत्र	अधिकरण की संरचना	अधिकरण हेतु तैनाती / नियुक्ति
1	2	3	4
1	चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून एवं हरिद्वार।	उक्त अधिकरण में निम्नलिखित होंगे:– 1. ऐसा एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का जिला, सेशन या प्रथम वर्ग सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का पद धारण करने वाला सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा। 2. ऐसा एक व्यक्ति, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति के समतुल्य पंक्ति का राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होगा, सदस्य होगा। 3. ऐसा एक व्यक्ति, जिसके पास मुस्लिम विधि और विधि शास्त्र का ज्ञान है, सदस्य होगा।	1. अध्यक्ष श्री शमशेर अली, तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, देहरादून। (अतिरिक्त प्रभार के रूप में) 2. प्रथम सदस्य अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून। (पदेन) 3.द्वितीय सदस्य श्री जैद रफी अंसारी, देहरादून।

3– उक्तानुसार गठित किये गये वक्फ अधिकरण में सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त, द्वितीय सदस्य के पद पर नियुक्त किये गये श्री अंसारी की पदावधि के निर्धारण के सम्बन्ध वक्फ अधिनियम, 2013 की धारा 83 की उपधारा (4 क) के अनुसार शासन द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

4– वक्फ अधिकरण के संबंध में शासन की पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या–1439 / स.क. / 02–226 / 2002, दिनांक 24 जुलाई, 2002 को मात्र गढ़वाल मण्डल के सन्दर्भ में ही एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

पृष्ठांकन संख्याः 1183 /XVII–3/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी (हरिद्वार) को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ठ भाग–4 खण्ड–क पर नियत आदेश में प्रकाशित करने तथा अधिसूचना की 200 मुद्रित प्रतियां शासन की उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विजय चन्द्र कौशल)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह/गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी गढवाल।
10. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. समस्त जिला जज/सेशन जज, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिलाधिकारी, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
14. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
15. सम्बन्धित अधिकारीगण/महानुभाव।
16. महानिदेशक, सूचना एंव लोकसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड।
17. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।